रजिस्टर्ड नं०-एoडी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 69] इलाहाबाद, शनिवार, 18 जुलाई, 2015 ई० (आषाढ़ 27, 1937 शक संवत्) [संख्या 29

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	295—313	3075
भाग 1-क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	2267—2308	1500
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	..	975

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		975
भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	261—263	975
स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	81—84	1425

कर एवं निबन्धन विभाग

अनुभाग-6

अधिसूचना

26 जून, 2015 ई0

सं0 112/11-6-2015-एम(71)/2012-उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979) की धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 2015

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2–नियम 13 का संशोधन–उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर नियमावली, 1981 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

13–कर के भुगतान के लिये विवरणी–(1) प्रत्येक आमोद का मालिक, प्रत्येक प्रदर्शन के लिये पृथक्-पृथक् "बाल पेन" और दो तरफा कारबन की सहायता से, प्रपत्र 'ख' में दो प्रतियों में विवरणी तैयार करेगा जिसमें विभिन्न वर्गों के लिये जारी किये गये प्रत्येक प्रकार के टिकट की संख्या, टिकटों की बिक्री से प्राप्त सकल धनराशि और संग्रह किये गये आमोद कर और अधिभार की धनराशि दिखायी जायेगी।

(2) प्रपत्र 'ख' में लेखा प्रदर्शन के प्रारम्भ होने से एक घंटे के भीतर या मध्यान्तर के प्रारम्भ होने के दस मिनट पूर्व जो भी पहले हो (अंग्रेजी फिल्मों या अल्पावधि के अन्य प्रदर्शनों की स्थिति में यथास्थिति मुख्य रूपक चित्र या प्रदर्शन के प्रारम्भ से 30 मिनट के भीतर) पूरा किया जायेगा और उसे प्रबन्धक के कार्यालय में यदि वह पहली मंजिल पर स्थित हो, या यदि प्रबन्धक का कोई कार्यालय न हो या जहां प्रबन्धक का कार्यालय पहली मंजिल पर न हो, वहाँ टिकट घर में जिसे इस प्रयोजन के लिये प्रबन्धक का कार्यालय समझा जायेगा निरीक्षण के लिये सुगमता से उपलब्ध रखा जायेगा।

(3) प्रपत्र 'ख' में लेखा तैयार किये जाने के पश्चात् किसी टिकट की बिक्री नहीं की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

13–कर के भुगतान के लिये विवरणी–(1) प्रत्येक आमोद का मालिक, प्रत्येक प्रदर्शन के लिये पृथक्-पृथक् "बाल पेन" और दो तरफा कारबन की सहायता से, प्रपत्र 'ख' में दो प्रतियों में विवरणी तैयार करेगा जिसमें विभिन्न वर्गों के लिये जारी किये गये प्रत्येक प्रकार के टिकट की संख्या, टिकटों की बिक्री से प्राप्त सकल धनराशि और संग्रह किये गये आमोद कर और अधिभार की धनराशि दिखायी जायेगी।

(2) प्रपत्र 'ख' में लेखा प्रदर्शन के प्रारम्भ होने से एक घंटे के भीतर या मध्यान्तर के प्रारम्भ होने के दस मिनट पूर्व जो भी पहले हो (अंग्रेजी फिल्मों या अल्पावधि के अन्य प्रदर्शनों की स्थिति में यथास्थिति मुख्य रूपक चित्र या प्रदर्शन के प्रारम्भ से 30 मिनट के भीतर) पूरा किया जायेगा और उसे प्रबन्धक के कार्यालय में यदि वह पहली मंजिल पर स्थित हो, या यदि प्रबन्धक का कोई कार्यालय न हो या जहां प्रबन्धक का कार्यालय पहली मंजिल पर न हो, वहाँ टिकट घर में जिसे इस प्रयोजन के लिये प्रबन्धक का कार्यालय समझा जायेगा निरीक्षण के लिये सुगमता से उपलब्ध रखा जायेगा।

(3) प्रपत्र 'ख' में लेखा तैयार किये जाने के पश्चात् किसी टिकट की बिक्री नहीं की जायेगी।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(4) जहाँ प्रपत्र 'ख' में कोई शुद्धि करना आवश्यक हो, वहाँ न तो अंकों के ऊपर कुछ लिखा जायेगा और न उसमें कोई शुद्धि की जायेगी और शुद्धियाँ केवल गलत अंकों को घेर कर और उसके ऊपर साफ-साफ शुद्ध अंक लिख कर प्रबन्धक के हस्ताक्षर से की जायेगी। प्रपत्र 'ख' में कोई उद्घर्षण या उपरिलेखन नहीं किया जायेगा।	(4) जहाँ प्रपत्र 'ख' में कोई शुद्धि करना आवश्यक हो, वहाँ न तो अंकों के ऊपर कुछ लिखा जायेगा और न उसमें कोई शुद्धि की जायेगी और शुद्धियाँ केवल गलत अंकों को घेर कर और उसके ऊपर साफ-साफ शुद्ध अंक लिख कर प्रबन्धक के हस्ताक्षर से की जायेगी। प्रपत्र 'ख' में कोई उद्घर्षण या उपरिलेखन नहीं किया जायेगा।
(5) उपनियम (2), (3) और (4) का उल्लंघन जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, कर का अपवंचन समझा जायेगा।	(5) उपनियम (2), (3) और (4) का उल्लंघन जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, कर का अपवंचन समझा जायेगा। परन्तु यह कि सिनेमा हॉल अथवा मल्टीप्लेक्स का मालिक इस नियम के अधीन विहित प्रपत्र "ख" प्रोफार्मा में विवरण मनोरंजन कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये यूजरनेम तथा पासवर्ड की सहायता से अभिहित वेबसाइट पर प्रदर्शन के प्रारम्भ होने से एक घंटे के भीतर या मध्यान्तर के प्रारम्भ होने के दस मिनट पूर्व जो भी पहले हो (अंग्रेजी फिल्मों या अल्पावधि के अन्य प्रदर्शनों की स्थिति में, यथास्थिति मुख्य रूपक चित्र या प्रदर्शन के प्रारम्भ से तीस मिनट के भीतर) तैयार तथा आद्यावधिक करेगा। इसकी हार्ड कॉपी (मुद्रित प्रति), प्रबन्धक कार्यालय में निरीक्षण के प्रयोजन हेतु सुगमता पूर्वक उपलब्ध रखी जायेगी। परन्तुक अग्रेतर यह कि उपरोक्त उपनियम (1), (2) और (4) लागू नहीं होगा। यदि सिनेमा और मल्टीप्लेक्स, अभिहित वेबसाइट पर प्रपत्र "ख" में तैयार किया गया है।

नियम 24 का संशोधन-(3) उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 24 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ-2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
24. कर का नकद भुगतान-(1) प्रत्येक आमोद का मालिक जिससे अधिनियम की धारा 8 के खण्ड (ख), (ग) या (घ) के उपबन्धों के अनुसार कर का नकद भुगतान करना अपेक्षित हो, कर की धनराशि रविवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अन्तिम दिन से तीन दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जैसी इस प्रयोजन के लिये आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय और जो प्रपत्र 'ख' में विवरण-पत्र को प्रस्तुत करने के लिये नियम 15 के अधीन विहित अवधि के अनुरूप हो, यथास्थिति, सरकारी कारबार का संचालन करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में सरकारी लेखे में या कोषागार में जमा करेगा।	**24. कर का नकद भुगतान**-(1) (क) प्रत्येक आमोद का मालिक जिससे धारा 8 के खण्ड (ख), (ग) या (घ) के उपबन्धों के अनुसार कर और धारा 3(ख) की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार अतिरिक्त प्रभार का नकद भुगतान करना अपेक्षित हो, धनराशि रविवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के अन्तिम दिन से तीन दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जैसी इस प्रयोजन के लिये आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय और जो प्रपत्र 'ख' में विवरण-पत्र को प्रस्तुत करने के लिये नियम 15 के अधीन विहित अवधि के अनुरूप हो, सरकारी कारबार का संचालन करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में सरकारी लेखे में जमा करेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(2) आमोद कर और अधिभार जमा करने के लिये कोषागार चालान तीन प्रतियों में, अलग-अलग तैयार किया जायगा जिस पर शब्द "कोषागार प्रति" "विभागीय प्रति" और "जमाकर्ता की प्रति" लिखा होगा और उन्हें कर की धनराशि और लेखा शीर्षक का सत्यापन करने के लिये विवरण-पत्रों सहित आमोद कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।	(2) आमोद कर और अधिभार जमा करने के लिये कोषागार चालान तीन प्रतियों में, अलग-अलग तैयार किया जायगा जिस पर शब्द "कोषागार प्रति", "विभागीय प्रति" और "जमाकर्ता की प्रति" लिखा होगा और उन्हें कर की धनराशि और लेखा शीर्षक का सत्यापन करने के लिये विवरण-पत्रों सहित यथा स्थिति उप मनोरंजन कर आयुक्त अथवा सहायक मनोरंजन कर आयुक्त अथवा जिला मनोरंजन कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
(3) मालिक कर का भुगतान करने के पश्चात् यथास्थिति सहायक मनोरंजन कर आयुक्त अथवा जिला मनोरंजन कर अधिकारी को कोषागार चालान संख्या और जमा करने के दिनांक की सूचना देगा।	(3) मालिक कर का भुगतान करने के पश्चात् तुरन्त यथास्थिति, उप मनोरंजन कर आयुक्त अथवा सहायक मनोरंजन कर आयुक्त अथवा जिला मनोरंजन कर अधिकारी को कोषागार चालान संख्या और जमा करने के दिनांक की सूचना देगा।

नियम 31 का संशोधन–(4) उक्त नियमावली में, नियम 31 स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
31. प्रतिभूति जमा करने की रीति–मालिक जिससे अधिनियम के धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिभूति जमा करने की अपेक्षा की जाय, "दि रूल्स फॉर दि गाइडेन्स ऑफ दि डिपाजिटर्स इन दि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक" के अनुच्छेद 45 के अधीन डाकघर में अपने नाम से प्रतिभूति निक्षेप खाता खोलेगा और उसे सहायक मनोरंजन कर आयुक्त अथवा जिला मनोरंजन कर अधिकारी को गिरवी रखेगा। वह इस सम्बन्ध में संलग्न प्रपत्र 'ङ' में एक बन्ध-पत्र भी निष्पादित करेगा। प्रतिभूति निक्षेप खाता का पास बुक और प्रतिभूति बन्ध-पत्र सहायक मनोरंजन कर आयुक्त अथवा जिला मनोरंजन कर अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जो प्रतिभूति को निर्मुक्त करने तक उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।	**31. प्रतिभूति जमा करने की रीति**–मालिक जिससे अधिनियम के धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिभूति जमा करने की अपेक्षा की जाय, "दि रूल्स फॉर दि गाइडेन्स ऑफ दि डिपाजिटर्स इन दि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक" के अनुच्छेद 45 के अधीन डाकघर में अथवा यथास्थिति किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपने नाम से प्रतिभूति निक्षेप खाता खोलेगा और यथास्थिति उसे उप मनोरंजन कर आयुक्त अथवा सहायक मनोरंजन कर आयुक्त अथवा जिला मनोरंजन कर अधिकारी को गिरवी रखेगा। वह इस सम्बन्ध में संलग्न प्रपत्र 'ङ' में एक बन्ध-पत्र भी निष्पादित करेगा। प्रतिभूति निक्षेप खाता की पास बुक और प्रतिभूति बन्ध-पत्र यथास्थिति उप मनोरंजन कर आयुक्त अथवा सहायक मनोरंजन कर आयुक्त अथवा जिला मनोरंजन कर अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा जो प्रतिभूति को निर्मुक्त करने तक उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

प्रपत्र "ख" का संशोधन

5–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र "ख" के स्थान पर संशोधन स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र "ख"

प्रपत्र "ख"

(नियम 13 के अधीन विहित)

पुस्तिका संख्या.................................. क्रम संख्या.........................

विवरणी जिसमें विभिन्न वर्गों के लिये जारी किये गये प्रत्येक प्रकार के टिकटों की संख्या, टिकटों की बिक्री से प्राप्त सकल धनराशि और संग्रह की गयी आमोद कर और अधिभार की धनराशि दी गयी है।

(1) आमोद का नाम और प्रकार...

(2) आमोद का स्थान और जिला...

(3) तमाशा का दिनांक...

(4) प्रदर्शन...

(5) प्रदर्शन के प्रारम्भ होने का समय...

(6) रूप के चित्र का नाम...

(7) वितरक का नाम...

(8) समाचार दर्शन/वृत्त चित्र का नाम/संख्या...

(9) लाइसेंस/अनुज्ञा की अवधि.......................................से.......................................तक

अवधेय–(एक) (6), (7), और (8) केवल चलचित्र प्रदर्शन पर लागू होंगे।

(दो) स्तम्भ (5) में, अंग्रेजी फिल्म की स्थिति में मुख्य रूपक चित्र के प्रारम्भ होने का समय भी दिया जाना चाहिये।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विद्यमान प्रपत्र "ख"

प्रपत्र "ख"

(नियम 13 के अधीन विहित)

पुस्तिका संख्या.................................. क्रम संख्या.........................

विवरणी जिसमें विभिन्न वर्गों के लिये जारी किये गये प्रत्येक प्रकार के टिकटों की संख्या, टिकटों की बिक्री से प्राप्त सकल धनराशि और यदि कोई, संग्रह की गयी, आमोद कर और अन्य प्रभार की धनराशि दी गयी है।

(1) आमोद का नाम और प्रकार...

(2) आमोद का स्थान और जिला...

(3) तमाशा का दिनांक...

(4) प्रदर्शन...

(5) प्रदर्शन के आरम्भ होने का समय और मुख्य रूपक चित्र के आरम्भ होने का समय...

(6) रूप के चित्र का नाम (चाहे अल्प अवधि के लिये इंगित किया गया हो)...

(7) वितरक का नाम...

(8) समाचार दर्शन/वृत्त चित्र का नाम/संख्या...

(9) लाइसेंस/अनुज्ञा की अवधि.......................................से.......................................तक

टिप्पणी–स्तम्भ (6), (7), और (8) केवल चलचित्र प्रदर्शन पर लागू होंगे।

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र 'ख'

	टिकट का प्रकार अर्थात् पूरा रियायती, शिशु, मानार्थ, प्रतिरक्षा, कार्मिक इत्यादि	प्रवेश टिकट का शुल्क				
		प्रवेश प्रभार	अधिभार सहित कर	अनुरक्षण प्रभार	फिल्म विकास निधि	योग
1	2	3	4	5	6	7

जारी किये गये टिकटों की संख्या			संग्रह की गयी धनराशि स्तम्भ–8 X स्तम्भ–5	संग्रह की गयी कर की धनराशि			
				आमोद कर	अधिभार	अनुरक्षण प्रभार	फिल्म विकास निधि
8	9	10	11	12	13	14	15
	अन्य		व्यक्तियों की संख्या की अभ्युक्ति, यदि कोई ड्यूटी पर हो, का भी उल्लेख कीजिये				
			17				

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र 'ख'

वर्ग	टिकट का प्रकार	कुल टिकट मूल्य का अवयव				टिकट लेखा		
		कुल भुगतान	आमोद कर	अन्य प्रभार	कुल (3+5)	प्रारम्भिक संख्या	अंतिम संख्या	जारी किये गये टिकटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सम्पूर्ण संकलन (स्तम्भ-6 X स्तम्भ-9)			संग्रह की गयी कर की धनराशि (स्तम्भ-4 X स्तम्भ-9)			अन्य प्रभार (स्तम्भ-5 X स्तम्भ-9)		
10			11			12		
व्यक्तियों की संख्या की अभियुक्ति, यदि कोई ड्यूटी पर हो, का भी उल्लेख कीजिये								
13								

प्रपत्र "ङ" का संशोधन

6–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र "ङ" के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र "ङ"

प्रपत्र "ङ"

आमोद के मालिक द्वारा निष्पादित किया जाने वाला प्रतिभूति बन्ध-पत्र का प्रपत्र

(नियम 31 के अधीन विहित)

यह विलेख आज दिनांक..............19.......... तद्नुरूप शक संवत् 19..........को...... ....द्वारा जो..........................का पुत्र और..........................में निवास करता है (जिसे आबद्ध व्यक्ति कहा गया है) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के (जिन्हें "राज्यपाल" कहा गया है) पक्ष में निष्पादित किया गया।

चूंकि नियमावली के नियम 31 के अनुसरण में आबद्ध व्यक्ति ने ....जिले में..........................स्थित.......................... ....नामक आमोद (जिसे "आमोद" कहा गया है) के मालिक के रूप में "दी रूल्स फॉर दी गाइडेन्स ऑफ दि डिपॉजिटर्स इन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक" के अनुच्छेद 45 के अधीन ....डाकघर में यथास्थिति राष्ट्रीयकृत बैंक में..........................रुपया जमा करके प्रतिभूति निक्षेप खाता खोला है और उसे यथास्थिति, उप मनोरंजन कर आयुक्त/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी को गिरवी रख दिया है।

अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है–

1–आबद्ध व्यक्ति अधिनियम और नियमावली की अपेक्षानुसार कर का भुगतान करेगा।

2–यथास्थिति, उप मनोरंजन कर आयुक्त/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी निम्नलिखित किसी एक या एकाधिक अधिकार का प्रयोग कर सकता है–

(क) प्रतिभूति या उसके किसी भाग का आहरण करना,

(ख) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिभूति या उसके किसी भाग का अधिहरण कटौती या समपहरण का प्रस्ताव करना,

(ग) सिवाय कटौती और समपहरण के, अधिनियम या नियमावली में व्यवस्थित किसी रीति से प्रतिभूति के विषय में संव्यवहार करना,

(घ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा परिवर्णन में उल्लिखित आमोद से भिन्न किसी आमोद के सम्बन्ध में आबद्ध व्यक्ति द्वारा देय कर की वसूली को प्रस्तावित प्रतिभूति से करना।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र "ङ"

प्रपत्र "ङ"

आमोद के मालिक द्वारा निष्पादित किया जाने वाला प्रतिभूति बन्ध-पत्र का प्रपत्र

प्रपत्र "ङ"

(नियम 31 के अधीन विहित)

यह विलेख आज दिनांक..............20.......... तद्नुरूप शक संवत् 20..........को...... ....द्वारा जो..........................का पुत्र और..........................में निवास करता है (जिसे आबद्ध व्यक्ति कहा गया है) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के (जिन्हें "राज्यपाल" कहा गया है) पक्ष में निष्पादित किया गया।

चूंकि नियमावली के नियम 31 के अनुसरण में आबद्ध व्यक्ति ने ....जिले में..........................स्थित.......................... ....नामक आमोद (जिसे "आमोद" कहा गया है) के मालिक के रूप में "दी रूल्स फॉर दी गाइडेन्स ऑफ दि डिपॉजिटर्स इन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक" के अनुच्छेद 45 के अधीन ....डाकघर में यथास्थिति राष्ट्रीयकृत बैंक में..........................रुपया जमा करके प्रतिभूति निक्षेप खाता खोला है और उसे यथास्थिति, उप मनोरंजन कर आयुक्त/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी को गिरवी रख दिया है।

अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है–

1–आबद्ध व्यक्ति अधिनियम और नियमावली की अपेक्षानुसार कर का भुगतान करेगा।

2–यथास्थिति, उप मनोरंजन कर आयुक्त/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी निम्नलिखित किसी एक या एकाधिक अधिकार का प्रयोग कर सकता है–

(क) प्रतिभूति या उसके किसी भाग का आहरण करना,

(ख) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिभूति या उसके किसी भाग का अधिहरण कटौती या समपहरण का प्रस्ताव करना,

(ग) सिवाय कटौती और समपहरण के, अधिनियम या नियमावली में व्यवस्थित किसी रीति से प्रतिभूति के विषय में संव्यवहार करना,

(घ) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा परिवर्णन में उल्लिखित आमोद से भिन्न किसी आमोद के सम्बन्ध में आबद्ध व्यक्ति द्वारा देय कर की वसूली को प्रस्तावित प्रतिभूति से करना।

स्तम्भ-1

विद्यमान प्रपत्र "ङ"

3–जहाँ आबद्ध व्यक्ति परिवर्णन में उल्लिखित आमोद का मालिक न रह जाय, वहाँ यथास्थिति उप मनोरंजन कर आयुक्त/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी यथास्थिति प्रतिभूति या प्रतिभूति की शेष धनराशि को, जो खण्ड 2 में उल्लिखित अधिकारों का प्रयोग करने के पश्चात् शेष रह जाय, निर्मुक्त कर देगा।

4–प्रतिभूति या उसके भाग की निर्मुक्ति से आबद्ध व्यक्ति अपने द्वारा देय कर का भुगतान करने के दायित्व से विमुक्त नहीं होगा।

5–राज्यपाल, जिला मजिस्ट्रेट के प्रमाण-पत्र पर, जो अन्तिम, निश्चायक और आबद्धकर होगा, इस विलेख के अधीन आबद्ध व्यक्ति के द्वारा देय किसी धनराशि को भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूल कर सकते हैं।

6–जब तक कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 से है,

(ख) "आबद्ध व्यक्ति" के अन्तर्गत उसका वारिस, प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशांसक और समनुदेशती भी है,

(ग) "राज्यपाल" के अन्तर्गत उनके पद के उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है,

(घ) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981 से है,

(ङ) "प्रतिभूति" का तात्पर्य परिवर्णन में यथा उल्लिखित डाकघर में या यथास्थिति राष्ट्रीयकृत बैंक में आबद्ध व्यक्ति द्वारा जमा की गयी धनराशि से है,

(च) "कर" का वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 2 में उसके लिये है।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख पर ऊपर लिखे दिनांक को आबद्ध व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र "ङ"

3–जहाँ आबद्ध व्यक्ति परिवर्णन में उल्लिखित आमोद का मालिक न रह जाय, वहाँ यथास्थिति उप मनोरंजन कर आयुक्त/सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी यथास्थिति प्रतिभूति या प्रतिभूति की शेष धनराशि को, जो खण्ड 2 में उल्लिखित अधिकारों का प्रयोग करने के पश्चात् शेष रह जाय, निर्मुक्त कर देगा।

4–प्रतिभूति या उसके भाग की निर्मुक्ति से आबद्ध व्यक्ति अपने द्वारा देय कर का भुगतान करने के दायित्व से विमुक्त नहीं होगा।

5–राज्यपाल, जिला मजिस्ट्रेट के प्रमाण-पत्र पर, जो अन्तिम, निश्चायक और आबद्धकर होगा, इस विलेख के अधीन आबद्ध व्यक्ति के द्वारा देय किसी धनराशि को भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूल कर सकते हैं।

6–जब तक कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 से है,

(ख) "आबद्ध व्यक्ति" के अन्तर्गत उसका वारिस, प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशती भी है,

(ग) "राज्यपाल" के अन्तर्गत उनके पद के उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है,

(घ) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर नियमावली, 1981से है,

(ङ) "प्रतिभूति" का तात्पर्य परिवर्णन में यथा उल्लिखित डाकघर में या यथास्थिति राष्ट्रीयकृत बैंक में आबद्ध व्यक्ति द्वारा जमा की गयी धनराशि से है,

(च) "कर" का वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 2 में उसके लिये है।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख पर ऊपर लिखे दिनांक को आबद्ध व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर,
आबद्ध व्यक्ति
आबद्ध व्यक्ति ने

1–..
पता

2–..
पता

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया।

आज्ञा से,
बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article, 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 112/11-6-2014-M(71)/2012,** dated June 26, 2015 :

No. 112/11-6-2014-M(71)/2012

June 26, 2015

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 38 of the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979 (U.P. Act no. 28 of 1979), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make, the following rules with a view of amending the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Rules, 1981 :

THE UTTAR PRADESH ENTERTAINMENTS AND BETTING TAX (FOURTEENTH AMENDMENT) RULES, 2015

1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax (Fourteenth Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. Amendment of rule 13—In the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Rules, 1981, hereinafter referred as the said rules, for the existing rule 13 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely :

Column 1 *Existing rule*	**Column 2** *Rule as hereby substituted*
13. Return for payment of tax—(1) The proprietor of every entertainment shall prepare separately for each show a return in Form 'B' in duplicate with ball pen and double sided carbon showing the number of each kind of ticket issued for various classes, gross amount received from the sale of ticket and the amount of entertainment tax and surcharge leviable and extra charges realisable under the Act, collected.	**13. Return for payment of tax**—(1) The proprietor of every entertainment shall prepare separately for each show a return in Form 'B' in duplicate with ball pen and double sided carbon showing the number of each kind of ticket issued for various classes, gross amount received from the sale of tickets and the amount of entertainment tax and surcharge leviable and extra charges realisable under the Act, collected.
(2) The account in Form 'B' shall be completed within one hour from the commencement of the show or ten minutes before the commencement of the interval, whichever is earlier (in case of English films or other shows of short duration within 30 minutes from the commencement of the main feature film or the show, as the case may be) and shall be kept readily available for inspection in the manager's office, if it is situated on the ground floor or, if there be no manager's office or where manager's office is not on the ground floor, in the booking office which shall be treated as manager's office for the purpose.	(2) The account in Form 'B' shall be completed within one hour from the commencement of the show or ten minutes before the commencement of the interval, whichever is earlier (in case of English films or other shows of short duration within 30 minutes from the commencement of the main feature film or the show, as the case may be) and shall be kept readily available for inspection in the manager's office, if it is situated on the ground floor or, if there be no manager's office or where manager's office is not on the ground floor, in the booking office which shall be treated as manager's office for the purpose.
(3) No ticket shall be sold after the account in 'Form B' has been prepared.	(3) No ticket shall be sold after the account in 'Form B' has been prepared.

8-B

Column 1 *Existing rule*	Column 2 *Rule as hereby substituted*
(4) Where it may be necessary to make corrections in the Form 'B' no over-writing or correction in the figures shall be made and the corrections shall be made only by encircling the wrong figure and writing the correct figure above it neatly under the signature of Manager. No erasion or over-writing in the Form 'B' shall be made.	(4) Where it may be necessary to make corrections in the Form 'B' no over-writing or correction in the figures shall be made and the corrections shall be made only by encircling the wrong figure and writing the correct figure above it neatly under the signature of Manager. No erasion or over-writing in the Form 'B' shall be made.
(5) Contravention of sub-rules (2), (3) and (4) shall, unless proved to the contrary, be deemed to be evasion of tax.	(5) Contravention of sub-rules (2), (3) and (4) shall, unless proved to the contrary, be deemed to be evasion of tax : *Provided that the proprietor of cinema/ multiplexes, shall prepare and update the details in Form-B prescribed under this rule within one hour from the commencement of the show or ten minutes before the commencement of the interval, whicever is earlier in case of English films or other shows of short duration within 30 minutes from the commencement of the main feature film or the show, as the case may be, on the designated official website with the help of user name and password provided by Entertainment Tax Commissioner, U.P. its hard copy (printed copy) shall be kept readily available for inspection in the manager's office :* *Provided further that sub-rule (1), (2) and (4) above shall not apply in case of cinema and multiplex preparing form "B" on designated website.*

3. Amendment of rule-24—In the said rules, for existing rule 24, set out in Column 1 below, the rules as set out in Column 2 shall be substituted, namely :

Column 1 *Existing rule*	Column 2 *Rule as hereby substituted*
24. Payment of tax in cash—(1) Proprietor of entertainment required to make the payment of tax in cash in accordance with the provisions of clasue *(b), (c) or (d)* of section 8 and extra charges in accordance with the provision of sub-section (2) of Section 3-B, shall deposit the amount into the Government Account in the State Bank of India conducting Government business or treasury, as the case may be, within three days from the last day of each week ending with Sunday or within such period as may be specified for the purpose by the Commissioner and which shall correspond with the period prescribed under rule 15 for	**24. Payment of tax in cash**—(1) Proprietor of entertainment required to make the payment of tax in cash in accordance with the provisions of clasue *(b), (c) or (d)* of section 8 and extra charges in accordance with the provision of sub-section (2) of Section 3-B, shall deposit the amount into the Government Account in the State Bank of India conducting Government business within three days from the last day of each week ending with Sunday or within such period as may be specified for the purpose by the Commissioner. and which shall correspond with the period prescribed under rule 15 for submission of Form 'B' statements :

Column 1	Column 2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
(2) The Treasury Challans shall be prepared separately for depositing the entertainment tax in triplicate bearing the words 'Treasury Copy' 'Departmental Copy', and 'Depositors Copy' and shall be presented before the Entertainment Tax Officer alongwith the statements, for verification of amount of tax and head of account.	(2) The Treasury Challans shall be prepared separately for depositing the entertainment tax in triplicate bearing the words 'Treasury Copy' 'Departmental Copy', and 'Depositors Copy' and shall be presented before the Deputy Entertainment Tax Commissioner or the Assistant Entertainment Tax Commissioner or the district Entertainment Tax Officer as the case may be, alongwith the statements, for verification of amount of tax and head of account.
(3) The proprietor shall, immediately after the tax has been paid, intimate the Treasury Challan number and the date of deposit to the Assistant Entertainment Tax Commissioner or the District Entertainment Tax Officer, as the case may be.	(3) The proprietor shall, immediately after the tax has been paid, intimate the Treasury Challan number and the date of deposit to the Deputy Entertainment Tax Commissioner or the Assistant Entertainment Tax Commissioner or the District Entertainment Tax Officer, as the case may be.

4. Amendment of rule-31—In the said rules, for existing rule 31, set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely :

Column 1	Column 2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
31. Manner of depositing security—The proprietor required to deposit security under sub-section (1) of section 10 of the Act, shall open a security deposit account in the Post Office under Article 45 of "The Rules for the guidance of the depositors in the Post Office Saving Bank" in his own name and pledge the same to the Assistant Entertainment Tax Commissioner/District Entertainment Tax Officer, as the case may be. He shall also execute a bond in this respect in the Form 'E' appended hereto. The Pass Book of the security deposit account and the Security Bond shall be submitted to the Assistant Entertainment Tax Commissioner/District Entertainment Tax Officer, as the case may be, who shall keep them in safe custody till the release of the security.	**31. Manner of depositing security**—The proprietor required to deposit security under sub-section (1) of section 10 of the Act, shall open a security deposit account in Post Office under Article 45 of The Rules for the guidance of the depositors in the Post Office Saving Bank or in any Nationalized Bank, as the case may be, in his own name and pledge the same to the Deputy Entertainment Tax Commissioner or the Assistant Entertainment Tax Commissioner or the District Entertainment Tax Officer, as the case may be. He shall also execute a bond in this respect in the Form 'E' appended hereto. The Pass Book of the security deposit account and the Security Bond shall be submitted to the Deputy Entertainment Tax Commissioner or the Assistant Entertainment Tax Commissioner or the District Entertainment Tax Officer, as the case may be, who shall keep them in safe custody till the release of the security.

Amendment of Form 'B'

5. In the said rules, for the existing Form 'B' set out in Column 1 below, the Form as set out in Column 2 shall be substituted, namely :

Column 1

Existing Form B

FORM 'B'

(Prescribed under Rule 13)

Book No.......... Sereial No.........

Return showing the number of each kind of tickets issued for various classes, gross amount received from the sale of tickets and the amount of entertainment tax and other charges, if any, collected :

1. Name and nature of entertainment..
2. Place of entertainment and district..
3. Date of performance..
4. Show..
5. Time starting of show and time of start of main feature film........
6. Name of feature film (Indicate whether it is of short duration)...........
7. Name of distributor..
8. Name/No. of News Reel/Documentary film..........................
9. Period of licence/permission— from............to...................

N.B. (*i*) (6), (7) and (8) shall apply to cinematograph exhibition only.

(*ii*) In Column 5 time of starting of main feature film should also be given in case of English films.

Column 2

Form B as hereby subsituted

FORM 'B'

(Prescribed under Rule 13)

Book No.......... Sereial No.........

Return showing the number of each kind of tickets issued for various classes, gross amount received from the sale of tickets and the amount of entertainment tax and other charges, if any, collected :

1. Name and nature of entertainment..
2. Place of entertainment and district..
3. Date of performance..
4. Show..
5. Time starting of show and time of start of main feature film..........
6. Name of feature film (Indicate whether it is of short duration).........
7. Name of distributor..
8. Name/No. of News Reel/Documentary film..........................
9. Period of licence/permission— from............to...................

Note : Column (6), (7) and (8) shall apply to cinematograph exhibition only.

Colu

Existing Form B

Class	Kind of tickets *viz.* full, concession, child, complimentary, D.P. etc.	Price of admission ticket				
		Admission charge	Tax including Surcharge	Maintenance charge	Film Development Fund	Total
1	2	3	4	5	6	7

Number of tickets issue d			Gross amount collected Col. 7x Col., 10	Amount of Tax collected			
Opening number	Closing no.	Number of issued tickets		Entertainment tax	Surcharge	Maintenance charge	Film Development Fund
8	9	10	11	12	13	14	15

Other	Remarks also mention number of persons, if any, on duty
16	17

Column 2

Form B as hereby substituted

Class	Kind of ticket	Components of total ticket value				Ticket account		
		Aggregate payment	Entertainment Tax	Other charge	Total (3+5)	Opening number	Closing number	Number of tickets issued
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Gross Collection (Col. 6 x Col. 9)	Amount of tax collected (Col.4 xCol.9)	Other charges (Col. 5 x Col. 9)
10	11	12

Remarks also mention number of persons, if any, on duty
13

I Total for the Show..................................

II Total brought forward..............................

III Prospective total.................................

I. Total for the show (in words)......................

II. Total brought forward (in words).................

III. Prospective total (in words).....................

Remarks by Inspecting Officer.

Time of Inspection...................................

Certified that the above account has been prepared correctly and the number of persons in each class tallies with number of tickets shown in Column 10 except those shown in Column 17.

Signature of the
Proprietor/Manager.

I Total for the Show..................................

II Total brought forward..............................

III Prospective total.................................

I. Total for the show (in words)......................

II. Total brought forward (in words).................

III. Prospective total (in words).....................

Remarks by Inspecting Officer.

Time of Inspection...................................

Certified that the above account has been prepared correctly and the number of persons in each class tallies with number of tickets shown in Column 9 except those shown in Column (13).

Signature of the
Proprietor/Manager.

Amendment of Form 'E'

6. In the said rules, for the existing Form 'E' set out in Column 1 below, the Form as set out in Column 2 shall be substituted, namely :

Column 1	Column 1
Existing Form 'E'	*Existing Form* 'E'
Existing Form 'E'	**Substituted Form 'E'**
FORM 'E'	FORM 'E'
Form of Security Bond to be executed by the Proprietors of Entertainments.	Form of Security Bond to be executed by the Proprietors of Entertainments.
(*Rule* 31)	(Prescribed under *Rule* 31)
THIS deed is executed on the.........day of 19.........corresponding to Saka Samvat the...........day of 19......by Sree..................... son of....................resident of..................presently residing at...................(called "the Bounden") in favour of the Governor of Uttar Pradesh (called "the Governor").	THIS deed is executed on the.........day of 20.........corresponding to Saka Samvat the...........day of.....20......by Sree.................. son of....................resident of..................presently residing at...................(called "the Bounden") in favour of the Governor of Uttar Pradesh (called "the Governor").
WHEREAS in pursuance of rule 31 of the	WHEREAS in pursuance of rule 31 of the
Rules the Bounden as proprietor of Entertainment named.............. situated at ....in the district of ....(called "the Entertainment") opened a security deposit account in the Post Office...................under Article 45 of "The rules for the guidance of the the depositors in Post Office Savings Bank" by depositing Rs............and has pledged it to the District Magistrate of ....(called "the District Magistrate").	Rules the Bounden as proprietor of Entertainment named.............. situated at ....in the district of ....(called "the Entertainment") opened a security deposit account in the Post Office...................under Article 45 of "The rules for the guidance of the depositors in Post Office Savings Bank" or in......................... (Nationalised Bank), as the case may be, by depositing Rs........... and has pledged it to the Deputy Entertainment Tax Commissioner/ Assistant Entertainment Tax Commissioner/District Etertainment Tax Officer, as the case may be.

295ख

NOW THIS DEED witness as follows :	NOW THIS DEED witness as follows :
1. The Bounden shall pay the Tax as required by the Act and the Rules.	1. The Bounden shall pay the Tax as required by the Act and the Rules.
2. The District Magistrate may exercise one or more of the following rights :	2. The Deputy Entertainment Tax Commissioner/Assistant Entertainment Tax Commissioner/District Entertainment Tax Officer, as the case may be, may exercise one or more of the following rights :
(*a*) To withdraw the Security or a part of it ;	(*a*) To withdraw the Security or a part of it ;
(*b*) To confiscate the Security or a part of it ;	(*b*) To propose confiscation, deduction or forefeiture of the Security or a part of it to District Magistrate ;
(*c*) To deal with the Security in any manner provided in the Act or the Rules ;	(*c*) To deal with the Security in any manner, except deduction and forfeiture provided in the Act or the Rules ;
(*d*) To realize from the Security the Tax due from the Bounden in respect of an entertainment other than the one mentioned in the recital.	(*d*) To propose to realize from the Security the Tax due from the Bounden in respect of an entertainment other than the one mentioned in the recital to District Magistrate.
3. Where the Bounden ceases to be the proprietor of the Entertainment mentioned in recital, the District Magistrate shall release to the Bounden the Security, or the balance of the Security which remains after exercising the rights mentioned in Clause-2, as the case may be.	3. Where the Bounden ceases to be the proprietor of the Entertainment mentioned in the recital, the Deputy Entertainment Tax Commissioner/Assistant Entertainment Tax Commissioner/District Entertainment Tax Officer, as the case may be, shall release to the Bounden the Security, or the balance of the Security which remains after exercising the rights mentioned in Clause-2, as the case may be.
4. The release of the Security or its part shall not exonerate the Bounden from the liability to pay the Tax due from him.	4. The release of the Security or its part shall not exonerate the Bounden from the liability to pay the Tax due from him.
5. The Governor may, on the certificate of the District Magistrate, which shall be final, conclusive and binding on the Bounden, recover as arrears of land revenue any amount due from the Bounden under this deed.	5. The Governor may, on the certificate of the District Magistrate, which shall be final, conclusive and binding on the Bounden, recover as arrears of land revenue any amount due from the Bounden under this deed.

6. Unless a contrary intention appears—

(*a*) 'the act' means the Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax Act, 1979 ;

(*b*) 'the Bounden' includes his heirs, representatives, executors, Administrators and assigns ;

(*c*) 'the Governor' includes his successor-in-office and assigns ;

(*d*) 'the Rules' means the Uttar Pradesh, Entertainment and Betting Tax Rules, 1981 ;

(*e*) 'the Security' means the amount deposited by the Bounden in the Post Office as mentioned in the recital ;

(*f*) 'the Tax' has the same meaning as it has in section 2 of Act.

IN WITTNESS WHEREOF the Bounden has signed this deed on the day and year first above written.

Signed by Bounden.

In the presence :

1.........................

Address

2.........................

Address

6. Unless a contrary intention appears—

(*a*) 'the act' means the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979 ;

(*b*) 'the Bounden' includes his heirs, representatives, executors, Administrators and assigns ;

(*c*) 'the Governor' includes his successor-in-office and assigns ;

(*d*) 'the Rules' means the Uttar Pradesh, Entertainments and Betting Tax Rules, 1981 ;

(*e*) 'the Security' means the amount deposited by the Bounden in the Post Office or Nationalised Bank, as the case may be, as mentioned in the recital ;

(*f*) 'the Tax' has the same meaning as it has in section 2 of Act.

IN WITTNESS WHEREOF the Bounden has signed this deed, on the day and year above writ.

Signed by Bounden.

In the presence of :

1.........................

Address

2.........................

Address

By order,

BIRES KUMAR,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–16 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2015 ई०।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।